न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

श्रीमती झुमा देवी बनाम छोटेलाल मीना
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/07/2024

03.01.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री धर्मेन्द्र जैसावत द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खसरा संख्या 194/598/C.17 वाके ग्राम नयागाव बोलका तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण 1/7 हिस्से व अप्रार्थीगण 1/7 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रार्थीया के साथ कार्य–काश्त करने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करें और ना ही प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल करके कब्जा ना करे ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे न आराजी को रहन वय आदि द्वारा मुन्तकिल करें। अन्त में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण 1/7 हिस्से व अप्रार्थीगण 1/7 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के संबंध में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से प्राबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 194/598/C.17 वाके ग्राम नयागाव बोलका तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 09.02.2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

12/11/24 अभिभाषक मण्डल से कार्य स्थगित किया है। दिनांक 28/11/24 को पेश हो
S.D.O.

28/11/24

पत्रावली पेश। पक्षकार उप.। पैरो सरकार औपचारिक पार्टी होने के कारण जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस दिनांक 07/01/25 को पेश हो।

sd
SDO

07/01/25

पत्रावली पेश। पक्षकार उप.। प्रार्थना पत्र 212 RT की बहस सुनी गई। बाद गौर बहस व अवलोकन पत्रावली दिनांक 03.01.2024 के आदेश को ता फैसला स्थगित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद [illegible] मूलवाद के साथ संलग्न हो।

sd
SDO